



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्र कम्पनी)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला — श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,

मुख्यालय — बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Suratgarh

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,

E-mail – csf.suratgarh@indiaseeds.com

H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi -12



क्र. : सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-65/भाग-II/2024

दिनांक : 29.05.2025

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में खरीफ 2025, रबी 2025-26 एवं समर/जायद 2026 में किये जाने वाले कृषि कार्यों को करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों/फ़र्मों से सीलबंद ऑफलाइन निविदायें दिनांक 20.06.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन (दिनांक 20.06.2025) दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी। धरोहर राशि रुपये 10000/- प्रति चक मात्र व रुपये 118/- निविदा फार्म राशि Online/RTGS/NEFT के माध्यम से (जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो) जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में फार्म कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रबंधक (उत्पादन)

Check list for Technical Requirement of Tender

<u>Particulars</u>	<u>Details</u>
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	

Details of Chaks

सूरतगढ़ फार्म के चकों पर गिरे हुए पेड़ों को खंड के विनोडिंग केंद्र पर शिफ्ट करवाने के कार्य हेतु चक की श्रेणी :-

S.No.	Block No.	Chak No.	Category
1	1	BRP 1	B
2	1	BRP 3	A
3	1	35 STG	B
4	1	37 STG	B
5	1	38 STG	C
6	1	39 STG	B
7	1	40 STG	C
8	1	41 STG	B
9	1	42 STG	B
10	1	44 STG	A
11	2	RPM 1	A
12	2	RPM 2	B
13	2	RPM 3	C
14	2	RPM 4	C
15	2	31A PBN	B
16	2	31B PBN	C
17	2	33 PBN	C
18	3	34 PBN	A
*19	3	3 SGM+EPO+HQ	A
20	3	4 SGM	A
21	3	5 SGM	A

***नोट :** क्रम संख्या 19 में अंकित चक 3 SGM, EPO व HQ को लकड़ी शिफ्टिंग के कार्य हेतु एक ही यूनिट में रखा गया है | उक्त कार्य हेतु एक ही EMD व अनुबंध पर कार्य करवाया जायेगा |

उपरोक्त श्रेणी चकों की विनोडिंग केंद्र से दूरी के अनुसार निर्धारित की गयी है :-

1. श्रेणी A : विनोडिंग केंद्र से अधिक दूरी वाले चक |
2. श्रेणी B : विनोडिंग केंद्र से मध्यम दूरी वाले चक |
3. श्रेणी C : विनोडिंग केंद्र से निकटवर्ती या कम दूरी वाले चक |

खरीफ 2025, रबी 2025-26 एवं जायद 2026 में होने वाले कृषि कार्यों को करने के लिए नियम व शर्तें

- निविदादाता को रुपये 10000/- प्रति चक EMD जमा करवानी होगी, निविदा की दर स्वीकृत होने पर सुरक्षा राशि में समायोजित कर ली जायेगी | निविदा की दर स्वीकृत नहीं होने की दशा में अर्थात् असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी | धरोहर राशि (EMD) Online mode में जमा कराने होंगे जो कि कार्य आवंटन होने पर कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी | कार्य के बारे में विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें www.indiaseeds.com एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रु0 100/+18% GST=118.0 रुपये का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है | खरीफ 2025, रबी 2025-26 व जायद 2026 (30.06.2026 तक या नयी दरें निर्धारित होने तक) के कृषि कार्यों को नियमानुसार करना अनिवार्य होगा |

खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना |

- फावडों का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा |
- खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिट्टी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिट्टी निकालने का कार्य खेतों के लेवल (Depth) के अनुसार करना होगा | खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व पटरी की सफाई भी करनी होगी |

पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना |

- फावडों या सम्बन्धित कोई भी यंत्र का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा |
- फसलों में बटों की मरम्मत स्वयं करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग-अलग पटरे वाईज लगाना होगा |
- सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहाँ पहुँच सके व जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा वहाँ ऊँची टिकरियों पर पानी हथ्थे द्वारा उठाकर फेंकना होगा | बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोड़ना |

खण्ड-तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई का करना |

- खण्ड-3 में डिग्गियों के माध्यम से स्प्रिंकलर, रैनगन यंत्रों को चलाना/आपरेट करना एवं पलेवा/फसलों में सिंचाई करना | फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होंगे तथा पानी सुचारु रूप से लगाना होगा |

कपास व धान में बट बनाना |

- फावडों का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा |
कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा |

यूरिया, डी.ए.पी. एसएसपी व जिप्सम आदि उर्वरकों का छिड़काव करना |

- खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड़ के हिसाब से क्रोसिंग में दो बार में छिड़कनी होगी |
- खाद छिड़कते समय फसल का कोई भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड़ सके साथ ही उपरोक्त कार्य के लिये आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी |
- खाद छिड़कने के लिए फार्म के प्लास्टिक के थैलों की झोलियां स्वयं ठेकेदार को बनानी होगी | उपयोग के दौरान खाद की खाली बोरियों को कृषि स्टोर में जमा करवाना होगा |
- बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होंगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार समय पर लोड अनलोड करना होगा |

फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डस्टिंग करना

- स्प्रे करने वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वयं करना होगा |
- स्प्रे व डस्टिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी |

3. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिड़कने पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।
4. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

फसलों में रोगिंग करना ।

1. रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाड़ने होंगे व उन्हें चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।
2. कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर पुनः करना होगा अन्यथा कार्य के बदले भुगतान नहीं किया जायेगा ।

चना, उडद, मूँग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुड़ाई करना ।

1. मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी एवं फसल पोधों के बीच में से में घास को निकालना होगा ।
3. यदि उक्त कार्य संतोषजनक नहीं किया जाता है तो उस कार्य को पुनः करना होगा अन्यथा बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

चना, उडद व मूँग या अन्य फसलों में उंटहल/हल से गुड़ाई करना ।

1. ठेकेदार को उंटहल धल का इन्तजाम स्वयं करना होगा ।
2. गुड़ाई के समय फसल में किस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए ।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी ।

धान की नर्सरी आदि डालना ।

1. धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा । एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में बीज छिड़कने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

धान की मैट नर्सरी तैयार कर फार्म मशीन से लगवाना आदि ।

- अ. धान की मैट नर्सरी तैयार करना : मिट्टी को छानकर मैट नर्सरी की क्यारी हेतु तैयार करना, क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, नर्सरी बिजाई के लिये मिश्रण तैयार करना, बीज डालना, पानी लगाना, स्प्रे करना एवं खाद डालना.
- ब. धान की मैट नर्सरी को शिफ्ट करना व ट्रांसप्लांटर से रोपाई करवाना : रोपाई के समय मैट नर्सरी के फर्मे की कटाई करना, कटे हुये फर्मे को फार्म ट्रांसपोर्ट से ट्रांसप्लांटर मशीन तक शिफ्ट करवाना और फार्म ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई करवाना एवं गैप फिलिंग सहित अन्य सम्बन्धित कार्य करना

धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना ।

1. धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये तुरबों में लगाना
2. प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होने पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी ।
3. पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके ।

धान से घास निकालना ।

1. घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी ।
2. घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः बृद्धि कर लेता है । घास को जड से न निकालें एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी ।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा ।

फार्म क्षेत्र में गिरे पेड़/लकड़ी विनाईग सेन्टर पर लगाना ।

1. पेड़/लकड़ी की कटाई के लिए मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ।
2. लकड़ी ढुलाई के लिए श्रमिक व वाहन ठेकेदार के होंगे ।
3. लकड़ी फील्ड में लादना व विनाईग सेन्टर पर उतारना इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे ।
4. जलाऊ व इमारती लकड़ी को अलग-अलग लाना होगा तथा खलिहान पर उतारते समय भी इमारती व जलाऊ लकड़ी का ढेर अलग-अलग लगाना होगा ।
5. गिरी हुई लकड़ी की कटाई फार्म द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार करनी होगी ।

6. विनोडिंग सैंटर पर पहुचाने वाली लकड़ी गर्थ अनुसार एवं लॉगवुड/फायरवुड के लॉट बनाकर (लॉगवुड में केवल : शीशम, कीकर, सफेदा, टीक) रखनी होगी। जिसके लिये निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें :-
 - i. 2 फीट तक की गर्थ वाली लकड़ी –फायरवुड में रखी जायेगी (Up to 2 fit girth-Firewood)
 - ii. 2 फीट से अधिक गर्थ वाली लकड़ी –लॉगवुड में रखी जायेगी (More than 2 fit girth-Logwood)
 - iii. जड़ों का अलग से लॉट्स लगाना होगा (Separate lot Roots)
 - iv. एक लॉट में अधिकतम 2000 क्विंटल तक फायरवुड/लॉगवुड रखी जा सकती है। जो उचित-रूप से निर्धारित स्थान में रखी जायेगी। (Properly staking with limited space)

फसल बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना।

1. बीजाई के समय फार्म की सीड ड्रील से बीजाई करवाना।

बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुड़ाई करना तथा बिजाई करना।

1. जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।

1. बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होंगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा। मजदूरों को हैण्ड ग्लव्स, मास्क आदि ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा।

फसलों में स्प्रेडिंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।

1. डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।
2. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कने पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
3. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैंकर अनलोड करना।

1. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ-साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।
2. बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

खड़े पेड़ों की सिंगलिंग, पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना।

खड़े पेड़ों की सिंगलिंग करना, दर प्रति पेड़—

खड़े पेड़ों में पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना। दर प्रति पेड़ ।

अन्य शेष शर्तों व कार्यों के संबंध में :-

1. उपरोक्त कार्यों के अलावा जो भी कार्य करवाया जायेगा जो कि निविदा में दिया गया है वह खण्ड प्रभारियों/चक प्रभारियों के दिशा-निदेशानुसार करना होगा। चकों पर खाद बीज दवाई या चक से सम्बन्धित अन्य सामान लाने-लेजाने हेतु बाहन फार्म द्वारा प्रदान किया जायेगा।
2. उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
3. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रुपये 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा। जो स्वीकृति आदेश

जारी होने के 07 दिवस में जमा कराना होगा। अनुबंध होने के उपरांत ही ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

4. सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (Security Money) 10000/- जमा करानी होगी। उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होने के उपरांत बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
5. यह अनुबंध दोनों फर्मों के बीच Agreements होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से, सहमत अवधि के लिए समान नियम-शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीए हुए मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
7. मूल्य उद्धृत करते समय निविदादाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन (Minimum wages) को ध्यान में रखना चाहिये। यह निविदादाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।
8. उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।
9. फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए, बिना किसी वृद्धि / वृद्धि के किसी भी कारण से, जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा।
10. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। कार्य समाप्ति के बाद 7 दिवस में बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा एवं बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।
11. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा, ठेकेदार अपने खर्च पर संसाधनों, श्रमिकों की व्यवस्था करेगा। विशेष स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
12. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म-संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा फार्म द्वारा जाँच, के उपरांत यदि यह पाया गया कि ठेकेदार या उसके श्रमिकों की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है।
13. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
14. श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म में रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।
15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
16. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य आवंटन के उपरांत कार्य को सुचारू ढंग से नहीं किया जाता है अर्थात् लापरवाही से व निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जाता है तब उस दशा में उसे फार्म द्वारा एक चेतावनी पत्र दिया जायेगा व साथ ही किये गये निम्न गुणवत्ता वाले कार्य का भुगतान नहीं किया

जायेगा | यदि चेतावनी पत्र देने के उपरांत भी कार्य में कोई सुधार नहीं होता है तब उस दशा में उसका ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा व साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है |

17. यदि किसी चक पर ठेकेदार का कार्य सही नहीं होने के कारण उसका अनुबंध निरस्त किया जाता है तो उस चक हेतु किसी अन्य उपलब्ध ठेकेदार से अनुबंध कर उन्हीं दरों पर कार्य करवाया जायेगा (पहले आओ पहले पाओ के अनुसार) | यदि पूर्व निलंबित ठेकेदार की दरों पर कोई अन्य ठेकेदार उपलब्ध नहीं होता है तब उस दशा में उस चक के निकटवर्ती सामानांतर परिस्थितियों वाले चक हेतु निर्धारित उपलब्ध दरों पर कार्य फार्म द्वारा करवाया जा सकता है, उसी अनुसार अन्य उपलब्ध ठेकेदार को प्रार्थना पत्र देकर श्रीमान फार्म प्रमुख से स्वीकृति लेकर अनुबंध करना होगा व धरोहर राशि भी जमा करवानी होगी |
18. फार्म अधिकारियों अथवा चक प्रभारी के निर्देशानुसार ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े |
19. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होंगे | फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा चक इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा | कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगाने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा |
20. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी | भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा |
21. संबंधित चक पर अनुबंधित ठेकेदार यदि निविदा में दिए गये कार्यों के अतिरिक्त अनुबंध किये गये चक पर कोई कार्य फार्म द्वारा निर्धारित फ्लैट दरों पर करने का इच्छुक होता है तब उक्त कार्य करने हेतु उसे प्रार्थना पत्र देना होगा व श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के उपरांत उसी वित्तीय वर्ष में उस चक पर किये गये विभिन्न कृषि कार्यों के अनुबंध व धरोहर राशि के अनुसार कार्य करना होगा | उसी वित्तीय वर्ष में उस चक पर किये गये विभिन्न कृषि कार्यों के अनुबंध की नियम व शर्तें उस अतिरिक्त कार्य पर भी लागू होगी |
22. टेण्डर में दिये गये नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि श्रमिक ठेकेदार को मान्य होंगे | श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य करने में देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी EMD/ Security राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया कर दिया जायेगा | इसके साथ ही यदि सम्बन्धित ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म के किसी स्टाफ से अभद्रता करता है अथवा किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो सम्बन्धित की EMD/ Security जब्त करते हुये डीबार करने की कार्यवही की जायेगी जिसके सम्बंध में अंतिम निर्णय फार्म प्रमुख द्वारा लिया जावेगा |
23. फर्मों द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा | फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572

IFSC Code : SBIN0007774

Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH

Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

24. **Arbitration clause:** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे | यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा | इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और

दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश/नियम एवं शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिये हैं। उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता.....

निविदादाता का नाम.....

पता.....

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

क्र. : सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-65/भाग-II/2024

दिनांक : 20.06.2025

निविदा प्रपत्र

मैं खरीफ 2025, रबी 2025-26 एवं जायद 2026 में होने वाले कृषि कार्यों को फार्म में करने के लिए तैयार हूँ एवं इन कृषि कार्यों को करने के लिये निम्नानुसार अपनी दरें देता हूँ :-

चक संख्या : _____

क. स.	कार्य का विवरण	फार्म से ली जाने वाली दरें (रुपयों में)
1.	खाले की सफाई करना	
क	खाले की सफाई करना व घास निकालना। प्रति मीटर की दर से।	
ख	खाले की डिसलिटिंग करना। प्रति मीटर की दर से।	
ग	मुख्य खाले की दोनों तरफ की पटरी बनाना, समतल करना, झाड़ियां काटना। प्रति मीटर	
2.	अ) फसलों के लिए पलेवा करना व प्रथम सिंचाई करना, प्रति एकड़ की दर।	
	ब) द्वितीय व बाद की सिंचाई करना दर प्रति एकड़।	
	स) खण्ड-3 में डिगियों के माध्यम से स्पिंकलर, रैनगन यंत्रों को पलेवा/फसलों में सिंचाई करना। दर प्रति एकड़	
	द)* खण्ड-3 में डिगियों के माध्यम से स्पिंकलर, रैनगन यंत्रों को चलाना/आपरेट करना। दर प्रति एकड़	
3.	मुरब्बों में कपास व धान में बट कसना। प्रति मीटर की दर से।	
4.	यूरिया, डी0ए0पी0, एसएसपी व जिप्सम उर्वरकों का छिड़काव फार्म के ट्रेक्टर मशीन द्वारा करना प्रति एकड़ की दर से।.....तथा ठेकेदार द्वारा करना प्रति एकड़.....	फार्म मशीन _____, ठेकेदार _____
5	फसलों में कीट नाशक दवाओं का छिड़काव करना, दर प्रति एकड़	
6	फसलों में रोगिंग करना, A. चने के अतिरिक्त अन्य सभी फसलें प्रति एकड़ की दर से B. चने की फसल.....प्रति एकड़ की दर से।	A _____, B _____
7	उड़द, मूंग चना व अन्य फसलों में कसोलों से गुड़ाई करना, ज्यादा घास, मध्यम घास व कम घास की प्रति एकड़ की दर से। [श्रेणी- A (ज्यादा घास), B (मध्यम घास), C (कम घास)]	A _____, B _____, C _____

	खरीफ/रबी फसलों की ऊँटहल से गुड़ाई करना, दर प्रति एकड़ में	
	खरीफ/रबी फसलों में इंटरकल्चर Spike Teeth से करना। प्रति एकड़ की दर से।	
	फार्म ट्रैक्टर से चनें की गुड़ाई करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे दुफाली व त्रिफाली पकड़ने के लिए ठेके के आदमी, दर प्रति एकड़ से।	
	सॉवल अथवा नाईफ टाईप कल्टीवेटर सिंगल फाली द्वारा फसलों में इंटरकल्चर। प्रति एकड़ की दर से।	
8	धान की नर्सरी के लिए क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, पानी में पाटा चलाना, धान की नर्सरी के लिए बीज डालना प्रति एकड़ की दर से.....	
	अ. धान की मैट नर्सरी तैयार करना : मिट्टी को छानकर मैट नर्सरी की क्यारी हेतु तैयार करना, क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, नर्सरी बिजाई के लिये मिश्रण तैयार करना, बीज डालना, पानी लगाना, स्प्रे करना एवं खाद डालना. प्रति एकड़ की दर से.....	अ _____,
	ब. धान की मैट नर्सरी को शिफ्ट करना व ट्रांसप्लान्ट से रोपाई करवाना :रोपाई के समय मैट नर्सरी के फर्मे की कटाई करना, कटे हुये फर्मे को फार्म ट्रांसपोर्ट से ट्रांसप्लान्ट मशीन तक शिफ्ट करवाना और फार्म ट्रांसप्लान्ट मशीन से रोपाई करवाना एवं गैप फिलिंग सहित अन्य सम्बन्धित कार्य करना) ट्रांसप्लान्ट किये गये एरिया की प्रति एकड़ दर	ब _____
	धान की नर्सरी उखाड़ना व धान लगाना, एक स्वचायर मीटर में करीब 30 पौधो से कम न हो। प्रति एकड़ की दर फार्म वाहन इस्तेमाल व ठेकेदार द्वारा स्वयं का वाहन इस्तेमाल।	
	धान की रोपाई से पूर्व में मुरब्बों से झाग/कचरा को बाहर निकालना। दर प्रति एकड़	
	धान में घास निकालना [श्रेणी- A (ज्यादा घास), B (मध्यम घास), C (कम घास)]. प्रति एकड़ की दर से।	A _____, B _____, C _____
9	फार्म क्षेत्र में गिरे हुए पेड़ो को कांट-छांटकर अपने वाहन (ठेकेदार के) से विनॉईंग सेन्टर पर लाना, जलाऊ व इमारती लकड़ी अलग-अलग ढेरों में उतारना एवं अधिकतम 2 हजार क्विंटल का ढेर लगाना। प्रति क्विंटल की दर से।	A _____,
	(क) श्रेणी A की दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से)	B _____,
	(ख) श्रेणी B की दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से)	C _____
	(ग) श्रेणी C की दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से)	
	नोट: उपरोक्त श्रेणियों का विवरण चकों के विवरण के साथ उपलब्ध है।	
10	बथुआ में सें चना की दाल चूरी की सफाई करना प्रति क्विंटल की दर से।	
	चनें की फसल में जमीन की सतह से बथुआ की कटाई दर प्रति एकड़ में।	
11	खलियान से आये हुए चने(पोड) की थ्रेसिंग थ्रेसर (ठेकेदार के) से करना प्रति क्विंटल की दर से।	
12	फसल की बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना तथा छूटे	A _____,

	हुये कोनों की बिजाई करना बीजोपचार सहित दर A. चने के अतिरिक्त अन्य सभी फसलें प्रति एकड़ की दर से B. चने की फसल.....प्रति एकड़ की दर से ।	B _____
	फसलों में स्प्रे करते समय ट्रैक्टर से जुड़े जैक्टो स्प्रेयर में पानी व दवा डालकर छिड़काव करना व फसलों के स्प्रे करते समय ट्रैक्टर से जुड़े माउण्टेड स्प्रेयर पानी व दवा डालकर छिड़काव करवाना ।	जैक्टो _____, माउंटेड _____
13	(क) प्राईवेट ट्रैक्टर से बाहर से स्प्रे करना मजदूर सहित – दर प्रति एकड़	
	(ख) प्राईवेट ट्रैक्टर से खेत के अंदर, मजदूर सहित स्प्रे करना— दर प्रति एकड़	
	(ग) फार्म ट्रैक्टर से खेत के बाहर, मजदूर सहित स्प्रे करना – दर प्रति एकड़	
14	कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना.....व बैकर अनलोड करना । दर प्रति एकड़ ।	मोपिंग _____, बैकर अनलोड _____
15	खड़े पेड़ों की सिंगलिंग करना, दर प्रति पेड़—	
16	खड़े पेड़ों में पत्ती लगाना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना । दर प्रति पेड़ ।	
17	फसलों में काचर बेल निकालना दर प्रति एकड़— A (ज्यादा काचर-बेल).....B (मध्यम काचर-बेल).....C (कम काचर-बेल).....	A _____, B _____, C _____
18	फार्म ट्रैक्टर स्प्रेयर फसलों में स्प्रे के श्रमिक उपलब्ध कराना । दर प्रति एकड़	
19	फसलों में अपने श्रमिक द्वारा 16 लीटर की अपनी ढोलकी द्वारा स्प्रे करना । दर प्रति ढोलकी	
20	बाजरा व अन्य फसलों से चिड़ियों को उड़ाना । दर प्रति एकड़/प्रतिदिन	
21	फसलों में से विशेषकर Low Line Area में से पानी को Drain out करना । दर प्रति एकड़	
22	कट व साइफनों को बोरी द्वारा बंद करना । दर प्रति बोरी	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

मोबाइल नंबर.....